

सं०सं०-1/विविध-86/2015-1313(1)  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक,  
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना,  
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय,  
नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना,  
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर एवं  
अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया।

पटना, दिनांक- 22/09/2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 1984-85, 1989-90 एवं 2004-05 का अधिकाई व्यय से संबंधित प्रतिवेदन  
उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का पीत-पत्र सं०-86(7)  
दिनांक-21.09.2016


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पीत-पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना  
है कि वित्तीय वर्ष 1981-82 से वित्तीय वर्ष 2004-05 तक अधिकाई व्यय के नियमितीकरण हेतु  
लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक-29.09.2016 को समीक्षा हेतु बैठक निर्धारित की गई है।

वित्तीय वर्ष 1984-85, 1989-90 एवं 2004-05 का अधिकाई व्यय से संबंधित प्रतिवेदन  
संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने-अपने संस्थान से संबंधित अधिकाई व्यय का कार्रवाई  
प्रतिवेदन 3 (तीन) दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(अनिल कुमार)

सरकार के उप सचिव।

पीत पत्र के बदले में

सं०-7/विविध-25-01/16... 86(7)

21-09-16

प्रभारी पदाधिकारी/  
प्रशाखा पदाधिकारी,  
प्रशाखा-07,10,12, एवं 16  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

वित्त विभाग के पत्रांक-7435 दिनांक-19.09.16 के प्रसंग में कहना है कि वर्ष 1981-82 से 2004-05 तक अधिकाई व्यय के नियमितकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक-29.09.2016 को समीक्षा हेतु बैठक निर्धारित की गयी है । इसके पूर्व मुख्य सचिव स्तर पर दिनांक-22.09.2016 को अधिकाई व्यय के लंबित मामलों पर विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया है ।

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित वित्तीय वर्ष 1984-88, 1989-90 एवं 2004-05 का अधिकाई व्यय से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने प्रशाखा से संबंधित प्रतिवेदनों का निराकरण प्रतिवेदन आज ही संध्या 5बजे तक उपलब्ध करायी जाय । विलम्ब की स्थिति में सारी जिम्मेवारी आपकी होगी ।

अनु०- यथोक्त ।

(रामेश्वर प्रसाद दास)  
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

रामेश्वर  
22.9.16

अनुदान संख्या - 14 वर्ष - 1984-85

54

अनुदान संख्या 14—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

अधिक व्यय +  
बचत—

मुख्य शीर्ष

कुल अनुदान/  
विनियोग

वास्तविक व्यय

₹०

₹०

₹०

280—चिकित्सा

281—परिवार कल्याण

480—चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय

481—परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल

1,31,02,68,000

1,33,72,76,485

96,81,30,494

—36,91,45,991

पूरक

2,70,08,485

24,92,51,093

वर्ष के दौरान अभ्यपित राशि (मार्च 1985)

प्रभारित :

मूल

शून्य

39,910

+39,910

अनुपूरक

शून्य

शून्य

वर्ष के दौरान अभ्यपित राशि (मार्च 1985)

ऊपर दिखाये गए व्यय में 27,87,900 रुपये सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें आकस्मिकता निधि से जनवरी-मार्च 1985 में स्वीकृत अग्रिम में से व्यय किया गया था किन्तु जिनकी आपूर्ति निधि में वर्ष के अन्त तक नहीं की गई थी।

टीका और टिप्पणियां

दत्तमत :

(i) 36,91.46 लाख रुपये की अंतिम बचत को देखते हुए फरवरी 1985 (2,70.08 लाख रुपये) में प्राप्त अनुपूरक अनुदान को जहां आवश्यक था, सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यपित प्रावधान (24,92.51 लाख रुपये) अंतिम बचत (36,91.46 लाख रुपये) से 11,98.95 लाख रुपये कम था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

क—280—चिकित्सा

क1—एलोपैथी

क1(1) निदेशन और प्रशासन

1,10.90

59.97

—50.93

1 क1(1) (2) जिला चिकित्सा पदाधिकारी

## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत—
2	क1(1) (3) रिजर्व चिकित्सा सहायक	1,10.70	0.44	—1,10.26
3	क1(1) (4) योजना का प्रशासन मूल 2,02.95 } अनुपूरक सांकेतिक } 2,02.95	2,02.95	5.27	—1,97.68

उपर्युक्त तीनों मामलों में बचत को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

क1(2) चिकित्सा राहत

4 क1(2) (5) पाटलीपुत्र मेडिकल  
कालेज अस्पताल

मूल	44.18	37.76	28.26	—9.50
अनुपूरक	1.03			
पुनर्वि०	—7.45			

16.95 लाख रुपये की कुल बचत में से 6.50 लाख रुपये की बचत मितव्ययिता के उपाय के कारण हुई। 10.45 लाख रुपये की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

5 क1(2) (8) श्रीकृष्ण मेडिकल  
कालेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर

मूल	91.70	92.05	55.93	—36.12
अनुपूरक	1.03			
पुनर्वि०	—0.68			

36.80 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

6 क1(2) (11) अनुमण्डलीय  
अस्पताल

मूल	1,86.22	1,84.72	1,51.66	—33.06
पुनर्वि०	—1.50			

1.50 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा भोजन-दर के पुनरीक्षण नहीं होने के कारण की गयी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

7 क1(2) (14) प्राथमिक  
चिकित्सा केन्द्र

मूल	20,84.31	20,68.32	11,71.15	—8,97.17
अनुपूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि०	—15.99			

## अनुदान संख्या 14—कमल:

9,13.16 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

8 क1(2) (15) दन्त चिकित्सा केन्द्र 18.60 10.01 —8.59

बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

क1(3) शिक्षा

9 क1(3) (4) पाटलीपुत्र चिकित्सा कॉलेज

मूल	53.92	}	52.54	39.35	—13.19
पुनर्वि०	—1.38				

14.57 लाख रुपये की कुल बचत में से 0.50 लाख रुपये की बचत मितव्ययिता के उपाय के कारण हुई। शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

10 क1(3) (11) भागलपुर मेडिकल कॉलेज

मूल	43.79	}	45.21	30.78	—14.43
अनुपूरक	1.75				
पुनर्वि०	—0.33				

14.76 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

क1(4) प्रशिक्षण

11 क1(4) (2) नर्स

मूल	56.01	}	53.21	11.31	—41.90
पुनर्वि०	—2.80				

2.80 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होने को फलस्वरूप वजीफा के व्यय में कमी के कारण की गयी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

क1(5) कर्मचारी राज्य बीमा योजना

12 क1(5) (1) कर्मचारी राज्य बीमा योजना

मूल	2,54.58	}	1,91.58	1,98.17	+ 6.59
पुनर्वि०	—63.00				

63.00 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा के मुख्य कारण थे: (i) पदों का रिक्त रहना (38.52 लाख रुपये), (ii) रांची तथा कोइलवर में अस्पतालों का निर्माण नहीं होना (9.23 लाख रुपये), (iii) अम्बुलेंस की खरीद नहीं होना (7.98 लाख रुपये) तथा (iv) मरीजों का कम संख्या (5.17 लाख रुपये)। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत—
	क1(8) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
13	क1(8) (3) रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल	22.41	16.43	—5.98
	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।			
14	क1(8) (7) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र			
	मूल	1,85.47		
	पुनर्वि०	—5.16		
		1,80.31	15.09	—1,65.22
	1,70.38 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।			
15	क1(8) (11) एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर	9.91	3.72	—6.19
	बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।			
	क1(8) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
16	क1(8) (13) कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
	मूल	16.00		
	पुनर्वि०	—5.71		
		10.29	10.29	
	बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रखे जाने के कारण हुई।			
	क2—अन्य चिकित्सा—पद्धतियां			
	क2(1) आयुर्वेदिक			
17	क2(1) (1) स्वदेशी औषधियों का निदेशालय			
	मूल	40.09		
	पुनर्वि०	—4.79		
		35.30	12.95	—22.35
	27.14 लाख रुपये की कुल बचत में से 3.31 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा में से पदों के रिक्त रहने के कारण की गयी। शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।			
18	क2(1) (2) अस्पताल			
	मूल	27.44		
	पुनर्वि०	—6.35		
		21.09	2.87	—18.22
	6.35 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा पदों के रिक्त रखे जाने के कारण की गयी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।			

## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय+ बचत—
19	क2(1) (5) आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना			
	मूल .20.73	17.94	14.66	—3.28
	पुनर्वि० —2.79			

2.79 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा पदों के रिक्त रखे जाने के कारण की गयी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

20	क2(2) होम्योपैथी क2(2) (2) होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	9.50	4.07	—5.43
----	---	------	------	-------

बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

21	क2(4) जनजातीय क्षेत्र उप- योजना			
	क2(4) (1) नये राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों का खोलना			
	मूल 9.13	5.85	1.50	—4.35
	पुनर्वि० —3.28			

3.28 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा पदों के रिक्त रखे जाने के कारण की गयी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

22	ख—281—परिवार कल्याण ख1—निर्देशन और प्रशासन ख1(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
	(ii) तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण			
	मूल 1,22.00	1,20.56	87.50	—33.00
	पुनर्वि० —1.44			

34.50 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

23	ख2—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
	ख2(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (1) ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
	मूल 20,76.30	14,88.94	11,28.94	—3,60.00
	पुनर्वि० —5,87.36			

9,47.36 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय+ बचत—
	क3—शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
	ख3(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
24	(i) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
	मूल 27.18	26.06	19.51	—6.55
	पुनर्वि० —1.12			

7.67 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून-1986)।

ख5—परिवहन

ख5(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

25 (i) परिवहन

	मूल 67.40	52.50	32.96	—19.54
	पुनर्वि० —14.90			

34.44 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

ख6—क्षतिपूर्ति

26 ख6(1) क्षतिपूर्ति

	मूल 1,75.00	1,44.85	21.65	—1,23.20
	अनुपूरक 28.00			
	पुनर्वि० —58.15			

58.15 लाख रुपये की बचत बंध्याकरण-शल्य चिकित्सा के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

ख6(2) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

27 (i) क्षतिपूर्ति

	मूल 13,40.00	8,34.58	6,29.89	2,04.69
	अनुपूरक 2,00.00			
	पुनर्वि० —7,05.42			

7,05.42 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा बंध्याकरण शल्य-चिकित्सा के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारण की गयी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।



## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत—
	ख 7—अन्य सेवाएं एवं आपूर्ति			
	ख 7(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
28	(i) अन्य सेवाएं तथा आपूर्ति			
	मूल 1,07.89	1,03.68	91.82	—11.86
	पुनर्वि० —4.21			

16.07 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

29 (ii) ग्रामीण तथा अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में बंध्याकरण की सुविधा का प्रसार

मूल	5.50	0.14	0.14	...
पुनर्वि०	—5.36			

बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

ख 8—जनशिक्षा

ख 8(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

30 (i) जन शिक्षा

मूल	50.50	31.85	18.79	—13.06
पुनर्वि०	—18.15			

18.15 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा तथा 13.06 लाख रुपये की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

ख 9—प्रशिक्षण तथा शोध एवं सांख्यिकी

ख 9(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

31 (i) प्रशिक्षण एवं शोध

मूल	1,28.44	89.85	83.05	—6.80
पुनर्वि०	—38.59			

## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत—
-------------	-------	------------	---------------	------------------

(लाख रुपयों में)

32 (ii) बहुदेशीय कार्यों के लिए प्रशिक्षण एवं नियोजन

मूल	20.00	8.06	4.40	—3.66
पुनर्वि०	—11.94			

उपर्युक्त दोनों मामलों में 38.59 लाख रुपये तथा 11.94 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा क्रमशः प्रशिक्षण केंद्रों के कार्य नहीं करने के कारण की गयी। उपर्युक्त दोनों मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

ख10—जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

33 ख10(1) क्षतिपूर्ति

मूल	25.00	9.00	6.29	—2.71
पुनर्वि०	—16.00			

16.00 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा बंध्याकरण-शल्य-चिकित्सा के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारण की गयी। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

2क—480—चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय

2क1—एलोपैथी

2क1(2) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

34 2क1(2) (1) भवन

मूल	1,77.39	1,76.39	0.40	—1,75.99
पुनर्वि०	—1.00			

1,76.99 लाख रुपये की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

2ख—481—परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

2ख1—कल्याण केंद्र

2ख1(1) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना

35 (i) भवन-निर्माण

मूल	12,15.91	4,38.73	4,08.01	—30.72
पुनर्वि०	—7,77.18			

7,77.18 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा के मुख्य कारण थे : (i) भारत सरकार से निधियों का कम आवंटन (5,11.75 लाख रुपये), (ii) उप-केंद्रों के लिए भवन-निर्माण का न होना (1,16.50 लाख रुपये), (iii) औषधियों पर कम व्यय (41.50 लाख रुपये), (iv) विविध कार्यालय व्ययों का कम होना (38.17 लाख रुपये), (v) मोटर गाड़ियों का क्रय नहीं होना (25.00 लाख रुपये), (vi) पदों का रिक्त रहना (22.58 लाख रुपये), (vii) याता-व्यय में कमी (11.20 लाख रुपये तथा (viii) मजदूरी, किराया तथा मशीनों पर कम व्यय (10.38 लाख रुपये)। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :

## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत—
	क—280—चिकित्सा			
	क1—एलोपैथी			
	क1(1) निदेशन एवं प्रशासन			
	क1(1) (5) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
1	(i) अधीक्षण	22.39	..	—22.39
	क1(2) चिकित्सा राहत			
2	क1(2) (18) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	21.45	..	—21.45
	क1(3) शिक्षा			
	क1(3) (12) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
3	( ) नेत्रहीनता को रोकने के लिए चल यूनिट	10.38	..	—10.38
	क1(8) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
4	क1(8) (2) जिला चिकित्सा पदाधिकारी	10.16	..	—10.16
5	क1(8) (6) अनुमंडलीय अस्पताल	18.69	..	—18.69
	2क—480—चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय			
	2क1—एलोपैथी			
2	क1(1) अन्य व्यय			
	2क1(2) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
	क2—श्रीषधियों की अन्य पद्धति			
	क2(4) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			

## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत—
			(लाख रुपयों में)	
6	क2(4) (3) नये राजकीय होमियोपैथी औषधालयों का खुलना			
	मूल 6.27	2.90	..	--2.90
	पुनर्वि० —3.37			
7	भवन	49.00	..	--49.00

उपर्युक्त सात मामलों में बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

(v) उपर्युक्त (iii) एवं (iv) टिप्पणी में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत और टिप्पणी (vi), (vii) एवं (viii) के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई :

क—280—चिकित्सा  
क1—एलोपैथी

क1(2) चिकित्सा राहत

1 क1(2) (1) पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल

मूल	2,72.66	2,96.49	3,47.62	+51.13
अनु०	18.58			
पुनर्वि०	—5.25			

5.25 लाख रुपये के अधिक व्यय की प्रत्याशा एक्स-रे के बकाए बिलों के भुगतान के कारण की गयी। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

2 क1(2) (2) दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल

मूल	1,36.03	1,37.65	1,79.82	+42.17
अनु०	2.27			
पुनर्वि०	—0.65			

41.52 लाख रुपये के निवल अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

3 क1(2) (10) सदर अस्पताल

मूल	2,82.52	2,79.02	4,39.82	--1,60.80
पुनर्वि०	—3.50			

1,57.30 लाख रुपये के निवल अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

अनुदान संख्या 14—इपस:

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत—
4	क1(2) (13) मानसिक आरोग्य- शाला		(लाख रुपयों में)	
	मूल	1,03.53		
	पुनर्वि०	-0.70	1,02.83	1,48.61
				-45.78

45.08 लाख रुपये के निवल अधिक व्यय के कारण को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

क1(3) शिक्षा

5 क1(3) (3) दरभंगा मेडिकल  
कॉलेज

मूल	70.72			
अनुपूरक	1.75	72.14	81.91	-9.77
पुनर्वि०	-0.33			

6 क1(3) (9) श्रीकृष्ण मेडिकल  
कॉलेज, मजफ्फरपुर.

मूल	55.67			
पुनर्वि०	-0.35	55.32	66.90	-11.58

उपर्युक्त तीनों मामलों में 9.44 लाख रुपये (5.03 लाख रुपये) तथा 11.23 लाख रुपये के निवल अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

क1(8) जनजातीय क्षेत्र उप-  
योजना

क1(8) (16) केन्द्र द्वारा  
प्रायोजित योजना

7 (iv) अन्य चिकित्सा सेवाएं

मूल	16.80			
पुनर्वि०	-0.57	16.23	61.87	+45.64

45.07 लाख रुपये के निवल अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

क2—श्रीषधि की अन्य पद्धति

क2(1) आयुर्वेदिक

8 क2(1) (9) नये राजकीय  
आयुर्वेदिक श्रीषधालयों को  
खोलना

4.00	10.47	+6.47
------	-------	-------

अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।



## अनुदान संख्या 14—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत—
9	क2(3) युनानी क2(3) तिब्बती कॉलेज			
	मूल 8.47	8.18	14.24	—6.06
	पुनर्वि० —0.29			

5.77 लाख रुपयों के निवल अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

(vi) निम्न मामलों में अधिक व्यय को देखते हुए अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती पूर्णतः अविवेक संगत सिद्ध हुआ :

क—280—चिकित्सा  
क1—एलोपैथी  
क1(1) निदेशन और प्रशासन

1	क1(1) (1) अधीक्षण			
	मूल 1,12.37	62.05	1,96.01	+1,33.96
	पुनर्वि० —50.32			

31 मार्च, 1985 को अभ्यर्पित 50.32 लाख रुपयों के प्रावधान का कारण था कतिपय तकनीकी कठिनाइयों के कारण स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायक अनुदान का भुगतान नहीं होना। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

क1(2) चिकित्सा राहत  
2 क1(2) (4) नालन्दा मेडिकल  
कालेज, अस्पताल

	मूल 96.39	92.87	1,30.82	+37.95
	अनुपूरक 1.03			
	पुनर्वि० —4.55			

31 मार्च, 1985 को अभ्यर्पित 4.55 लाख रुपयों के प्रावधान का कारण था हाउस सर्जन की संख्या कम होना तथा परिणाम-स्वरूप वजीफा में कम व्यय होना। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

3 क1(2) (7) एम०जी०एम०  
मेडिकल कॉलेज अस्पताल,  
जमशेदपुर

	मूल 11.24	10.07	20.30	—10.23
	अनुपूरक 1.54			
	पुनर्वि० —2.71			

31 मार्च, 1985 में अभ्यर्पित 2.71 लाख रुपयों के प्रावधान का मुख्य कारण था मितव्ययिता के उपाय। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

## अनुदान संख्या 14—क्रमान्त

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत—
4	क1(2) (9) भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल		(लाख रुपयों में)	
	मूल 79.31	77.78	1,00.94	—23.16
	अनुपूरक 1.03			
	पुनर्वि० —2.50			

31 मार्च, 1985 को अभ्यर्पित 2.56 लाख रुपये के प्रावधान का कारण था भोजन-दर में पुनरीक्षण नहीं होना। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

5	क1(2) (16) ग्रामीण औषधालय			
	मूल 3,94.91	3,84.41	4,51.72	—67.31
	अनुपूरक			
	पुनर्वि० —10.50			

31 मार्च, 1985 को अभ्यर्पित 10.50 लाख रुपये के प्रावधान के आंशिक कारण थे मितव्ययिता के उपाय (0.60 लाख रुपये) तथा नियमित स्थापना में आकस्मिक श्रमिकों के अन्तर्लीन होने के फलस्वरूप 9.90 लाख रुपये की शेष राशि का अभ्यर्पण जो विवेक संगत नहीं था। चूंकि इसमें केवल वर्गीकरण का परिवर्तन—'सदस्य' से 'वेतन' ही अन्तर्लिप्त है तथा इससे कोई वास्तविक बचत नहीं हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

6	क1(2) (17) अन्य औषधालय			
	मूल 7,81.57	7,59.88	14,54.60	+ 6,94.72
	अनुपूरक 1.25			
	पुनर्वि० —22.94			

31 मार्च, 1985 को अभ्यर्पित 22.94 लाख रुपये के आंशिक कारण थे (i) भोजन-दर का पुनरीक्षण नहीं होना (12.50 लाख रुपये), (ii) मितव्ययिता के उपाय जैसे यात्रा, वाहन, मशीन तथा किराये पर कम व्यय होना (6.85 लाख रुपये) तथा (iii) तकनीकी कठिनाइयों के कारण सहायक अनुदान का भुगतान नहीं होना (0.90 लाख रुपये)। नियमित स्थापना में आकस्मिक श्रमिकों के अन्तर्लीन के फलस्वरूप 2.69 लाख रुपये अभ्यर्पित किए गए जो कि विवेक संगत प्रतीत नहीं होता है जैसा कि क्रमांक 5 के अन्तर्गत इंगित किया गया है। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)।

(vii) निम्न मामले में व्यय बिना प्रावधान के हुआ :

क—280—चिकित्सा		
क2—औषधियों की अन्य पद्धतियां		
क2(1) आयुर्वेदिक		
क2(1) (7) आयुर्वेदिक औषधालय	49.30	+ 49.30

बिना बजट-प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (जून 1986)। प्रभारित :

(ix) प्रभारित व्यय बजट-प्रावधान के बिना किया गया, 39,910 लाख रुपये के अधिक व्यय के नियमानु-  
कसन की आवश्यकता है।  
अधिक व्यय पूजागत शीर्ष "480—चिकित्सा-परपूजागत-परिव्यय—एलोपैथी—अन्य व्यय—भवन" के अंतर्गत हुआ तथा निर्णयदेश संनधी (डिलीटल) राशि का भुगतान देय था।



वर्ष 2004-05

अनुदान संख्या - 20 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग  
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
राजस्व :			
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	6,97,25,06	8,11,53,34	6,04,12,21
अनुपूरक	1,14,28,28		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2005)			- 2,07,41,13 1,06,53,34

पूंजी :  
मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत :			
मूल	8,45,72	21,91,32	21,93,97
अनुपूरक	13,45,60		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2005)			+ 2,65 30,70

टीका और टिप्पणियाँ :-  
राजस्व (दत्तमत)

- (i) 2,07,41.13 लाख रु० की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2004 (50,86.78 लाख रु०), दिसम्बर 2004 (59,85.01 लाख रु०) तथा मार्च 2005 (3,56.49 लाख रु०) में प्राप्त किया गया 1,14,28.28 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (1,06,53.34 लाख रु०), अंतिम बचत (2,07,41.13 लाख रु०) से 1,00,87.79 लाख रु० कम था ।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iii) बचत (25 लाख रु0 अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं -एलोपैथी			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	3,60.79	3,60.89	+ 0.10
मूल	4,34.07		
पुनर्वि0	-73.28		
प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है ।			
1002 जिला चिकित्सा पदाधिकारी	10,27.93	9,11.25	- 1,16.68
मूल	11,40.00		
पुनर्वि0	-1,12.07		
प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 अंधेपन की रोकथाम	3,23.81	1,90.70	- 1,33.11
मूल	3,23.81		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
110 अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)			
0001 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	23,14.11	21,68.18	- 1,45.93
मूल	25,34.30		
पुनर्वि0	-2,20.19		
0004 नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	9,42.22	9,40.21	- 2.01
मूल	9,35.10		
अनुपूरक	1,25.62		
पुनर्वि0	-1,18.50		
0008 श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	5,69.51	5,67.64	- 1.87
मूल	7,11.02		
पुनर्वि0	-1,41.51		
उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			

## अनुदान संख्या = 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में )	अधिक व्यय + बचत -
0009 भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	7,99.65	8,01.02	+ 1.37
मूल	6,71.91		
अनुपूरक	2,46.72		
पुनर्वि०	-1,18.98		
प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
0010 इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	2,74.28	2,60.48	- 13.80
मूल	3,05.79		
पुनर्वि०	-31.51		
0013 सदर अस्पताल	26,48.09	21,77.87	- 4,70.22
मूल	28,32.35		
पुनर्वि०	-1,84.26		
0014 अवर प्रमंडलीय अस्पताल	11,87.18	10,25.38	- 1,61.80
मूल	11,53.03		
अनुपूरक	1,30.73		
पुनर्वि०	-96.58		
उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
0016 मानसिक आरोग्यशाला	11,40.90	11,40.90	0.00
मूल	2,30.00		
अनुपूरक	19,00.44		
पुनर्वि०	-9,89.54		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	64.34	0.00	- 64.34
अनुपूरक	64.34		
0104 सदर प्रमंडलीय अस्पताल	44.69	11.98	-32.71
मूल	44.69		
उपर्युक्त दोनों मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएं (गैर-योजना)			
0001 अन्यान्य औषधालय (यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम)	11,03.55	10,02.47	- 1,01.08
मूल	13,26.73		
अनुपूरक	3.17		
पुनर्वि०	-2,26.35		
0005 अन्यान्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	2,80.56	2,27.35	- 53.21
मूल	2,51.42		
अनुपूरक	50.47		
पुनर्वि०	-21.33		
उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 अन्य स्वास्थ्य सेवा-कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	50.00	45.17	- 4.83
मूल	1,12.69		
पुनर्वि०	-62.69		
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा कम निधि की विमुक्ति किये जाने के कारण हुई थी ।			
02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101 आयुर्वेद (गैर-योजना)			
0001 देशी आयु० विज्ञान निदेशालय	4,48.47	4,21.12	- 27.35
मूल	4,90.37		
पुनर्वि०	-41.90		
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (गैर-योजना)			
0001 ग्राम्य औषधालय	20,39.21	17,44.23	-2,94.98
मूल	26,57.03		
पुनर्वि०	-6,17.82		
0002 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	41,36.89	36,47.20	- 4,89.69
मूल	52,02.64		
पुनर्वि०	-10,65.75		

## अनुदान संख्या = 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0003 स्वास्थ्य उपकेन्द्र	27,10.17	19,84.39	-7,25.78
मूल	28,89.52		
पुनर्वि०	-1,79.35		
उपर्युक्त चारों मामलों में प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	46,40.27	45,83.65	- 56.62
मूल	65,47.55		
पुनर्वि०	-19,07.28		
प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	39,88.10	35,94.45	- 3,93.65
मूल	39,98.40		
अनुपूरक	4.82		
पुनर्वि०	-15.12		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
110 अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)			
0001 रेफरल अस्पताल	11,30.84	10,30.69	- 1,00.15
मूल	11,91.24		
पुनर्वि०	-60.40		
प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0801 एलोपैथी	18,12.95	16,68.76	- 1,44.19
मूल	24,17.30		
पुनर्वि०	-6,04.35		
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा कम निधि की विमुक्ति के कारण हुई थी । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101 आयुर्वेद (गैर-योजना )			
0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय ( आयुर्वेदिक अस्पताल )	2,86.02	2,59.22	- 26.80
मूल	2,92.51		
पुनर्वि०	-6.49		

क्रमशः अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19,84.39	त्सा शिक्षा, प्रशिक्षण अनुसंधान विद्यालय (योजना)		
अंतिम बचत के कारणों	वैदिक कॉलेज, पटना	1,55.28	1,55.17 - 0.11
	मूल 1,82.67		
	अनुपूरक -27.39		
45,83.65	वैदिक कॉलेज, बक्सर	77.33	59.95 - 17.38
	मूल 2,88.97		
अंतिम बचत के कारणों को	अनुपूरक 1.60		
	अनुपूरक -2,13.24		
35,94.45	वैदिक कॉलेज नाथनगर, जलपुर	74.65	72.74 - 1.91
	मूल 50.24		
	अनुपूरक 71.38		
	अनुपूरक -46.97		
(सितम्बर 2005)।	एक मामलों में प्रत्याशित बचत के दोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं है (सितम्बर 2005)।		
10,30.69	नोपैथी र-योजना) रभंगा मेडिकल कॉलेज	5,57.06	5,81.69 + 24.63
अंतिम बचत नहीं किया गया	मूल 6,50.92		
	अनुपूरक -93.86		
	बचत के दोस कारणों तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2005)।		
16,68.76	मालन्दा मेडिकल कॉलेज	5,62.37	5,47.06 - 15.31
	मूल 5,57.52		
	अनुपूरक 94.26		
	अनुपूरक -89.41		
	बचत के दोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005)।		
2,59.22	श्रीकृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	5,46.35	5,59.54 + 13.19
	मूल 5,67.44		
	अनुपूरक 1,88.19		
	अनुपूरक -2,09.28		

## अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
0010 भागलपुर मेडिकल कॉलेज मूल 4,42.67 पुनर्वि० -1,16.74	3,25.93	3,35.42	+ 9.49
उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
0012 प्रशिक्षण नर्स मूल 1,76.43 पुनर्वि० -34.81	1,41.62	1,07.81	- 33.81
प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0110 परिचारिकायें मूल 84.17 पुनर्वि० -9.29	74.88	36.95	- 37.93
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
0114 इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना मूल 88.88 अनुपूरक 26.74	1,15.62	87.26	- 28.36
200 अन्य पद्धतियां योजना ( केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना )			
0401 आई०जी०आई०एम०एस०, पटना में औनोकोलोजी विंग के विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान अनुपूरक 2,00.00	2,00.00	0.00	- 2,00.00
योजना (राज्य योजना)			
0101 इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को सहायक अनुदान मूल 6,75.00	6,75.00	5,00.00	- 1,75.00
उपर्युक्त तीनों मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			

## अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3,35.42	एक स्वास्थ्य निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
अधिक व्यय के कारणों	शिक्षण	2,02.40	1,69.40	- 33.00
	मूल 2,49.53			
1,07.81	पुनर्वि0 -47.13			
	। बचत के दोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
त नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।	शिक्षण			
	(गैर-योजना)			
	जन स्वास्थ्य संस्थान	5,54.94	5,68.44	+ 13.50
36.95	मूल 4,46.54			
	अनुपूरक 2,00.70			
	पुनर्वि0 -92.30			
	। बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
है (सितम्बर 2005) ।	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण (गैर-योजना)			
87.26	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	10,55.64	10,55.44	- 0.20
	मूल 12,13.57			
	पुनर्वि0 -1,57.93			
	। बचत के दोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
0.00	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
- 2,	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कालाजार सहित	6,41.89	2,76.98	- 3,64.91
	मूल 13,56.00			
	पुनर्वि0 -7,14.11			
	। एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
0.00	फाइलेरिया उन्मूलन योजना	3,50.00	2,18.82	- 1,31.18
- 1,71	अनुपूरक 3,50.00			
	। बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
है (सितम्बर 2005) ।	खाद्य अपमिश्रण का निवारण (गैर-योजना)			
	लोक स्वास्थ्य और सफाई के कार्यक्रम- खाने वाली चीजों में मिलावट की रोकथाम	47.69	19.75	- 27.94
	मूल 75.70			
	पुनर्वि0 -28.01			



## अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
104 औषध नियंत्रण (गैर-योजना)			
0001 औषध नियंत्रण स्थापना	1,76.39	1,41.03	- 35.36
मूल	2,13.41		
पुनर्वि०	-37.02		
107 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (गैर-योजना)			
0001 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	1,07.72	91.54	- 16.18
मूल	1,36.57		
अनुपूरक	0.87		
पुनर्वि०	-29.72		
उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
112 लोक स्वास्थ्य शिक्षा (गैर-योजना)			
0001 राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो	6,23.83	5,33.55	- 90.28
मूल	7,22.47		
पुनर्वि०	-98.64		
प्रत्याशित बचत मांग की कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			
2211 परिवार कल्याण			
00			
001 निदेशन और प्रशासन योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 तकनिकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण	1,39.80	1,15.23	- 24.57
राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो			
मूल	2,27.63		
पुनर्वि०	-87.83		
0603 तकनिकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण जिला कल्याण ब्यूरो	8,53.92	6,48.31	- 2,05.61
मूल	10,53.13		
पुनर्वि०	-1,99.21		

20 - क्रमशः

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1,41.03	रा प्रायोजित योजना) और अनुसंधान ए0एन0एम0 एल0एच0भी0 स्कूल 4,20.38 -53.95	3,66.43	2,43.74	- 1,22.69
91.54	गमलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है । परिवार कल्याण सेवाएं द्वारा प्रायोजित योजना) उपकेन्द्र 1,15,15.52 -5,61.90	1,09,53.62	74,80.93	- 34,72.69
5,33.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है । ए0एन0एम0 के स्थानान्तरण न होने तथा प्रस्तावित दर पर किराया महसूल एवं कर के अपनी नहीं होने के कारण हुई थी । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है 5) ।			
	गणों को सूचित नहीं किया गया है । योजना) परिवार कल्याण केन्द्र 7,66.54 रक 10 10.49.00 -3.14	18,12.40	13,75.09	- 4,37.31
1,15.23	री परिवार कल्याण सेवाएं द्वारा प्रायोजित योजना) री परिवार कल्याण केन्द्र 93.44 र्वि0 -5.17	88.27	36.18	- 52.09
6,48.31	तृत्व तथा बाल स्वास्थ्य र-योजना) तृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य न 1,49.86 नर्वि0 -29.57	1,20.29	1,11.34	-8.95
	रिवहन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना) रिवहन ूल 1,00.00 नर्वि0 -15.95	84.05	47.00	- 37.05

## अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
105 क्षतिपूर्ति योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601 क्षतिपूर्ति	9,20.63	1,75.79	-7,44.84
मूल	11,00.00		
पुनर्वि०	-1,79.37		

उपर्युक्त पांच मामलों में प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।

2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं  
00

090 सचिवालय  
(गैर-योजना)

0007 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मूल 1,00.23  
पुनर्वि० -35.07

65.16

73.56

+ 8.40

प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।

पूजी ( दत्तमत )

(iv) अनुदान से 2,64,875. रु० अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है ।

(v) 2.65 लाख रु० के अधिक व्यय को देखते हुए दिसम्बर 2004 (7.53 लाख रु०) तथा मार्च 2005 (13,38.07 लाख रु० ) में प्राप्त किया गया 13,45.60 लाख रु० का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा 31 मार्च 2005 में अभ्यर्पित किया गया 30.70 लाख रु० अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ ।

(vi) अधिक व्यय (10.00 लाख रु० अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो ) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
-------	------------	-----------------------------------	----------------------

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर  
पूजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110 अस्पताल तथा औषधालय  
योजना (राज्य योजना)

0101 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में  
नर्सिंग और हॉस्टल  
आवास एवं गैरेज का निर्माण  
मूल 1,00.00

1,00.00

2,82.16

+ 1,82.16

अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।

## अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

(vii) बचत (10.00 लाख रु0 अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो ) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-  
शीर्ष

कुल अनुदान वास्तविक व्यय अधिक व्यय + बचत -  
(लाख रुपयों में )

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110 अस्पताल तथा औषधालय योजना (राज्य योजना)			
0102 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में चतुर्थवर्गीय कर्मियों के आवास का निर्माण	25.00	0.00	- 25.00
मूल	25.00		

संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601 आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला में मशीन उपकरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	15.70		
पुनर्वि0	-15.70		

03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
102 होमियोपैथी योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601 होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	15.00		
पुनर्वि0	-15.00		

वित्तीय वर्ष के अंतिम समय तक राशि की विमुक्ति नहीं होने तथा प्राधिकृत योजना समिती द्वारा स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण उपरोक्त दोनों मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ ।

80 सामान्य			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0701 अन्य व्यय			
मूल	5.20.72	5.20.72	4.05.00
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2005) ।			- 1,15.72

## अनुदान संख्या 27—परिवार कल्याण

( सभी दत्तमत )

मुख्य शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत—
	₹०	₹०	₹०
2211—परिवार कल्याण			
4211—परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
मूल	47,05,94,000	} 49,36,60,820	49,71,07,803 + 34,46,983
अनुपूरक	2,30,66,820		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ( 31 मार्च 1990 )			8,35,31,000
ऊपर दिखाए गए व्यय में 70,81,439 रुपये शामिल नहीं हैं, जिन्हें मार्च 1990 में संस्वीकृत आकस्मिकता निधि के अग्रिमों में से व्यय किया गया था, लेकिन जिनको आपूर्ति निधि में वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायी।			

टीका और टिप्पणियां :—

- (i) व्यय अनुदान से 34,46,983 रुपये अधिक हुआ। अधिक व्यय का नियमानुकूल अपेक्षित है।
- (ii) 34.47 लाख रुपये के अन्तिम अधिक व्यय को देखते हुए, जनवरी 1990 में प्राप्त किया गया 2,30.67 लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) 2,30.67 लाख रुपये के अनुपूरक अनुदान में से 13.00 लाख रुपये मुख्य शीर्ष "2211" के अन्तर्गत उपशीर्षों में अधिक वितरित किए गए।
- (iv) 31 मार्च 1990 में 8,35.31 लाख रुपये प्रत्याशित बचत के रूप में अभ्यर्पित किए गए। अन्त में अनुदान 34.47 लाख रुपये के अन्तिम अधिक व्यय के साथ समाप्त हो गया।
- (v) अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत—
		( लाख रुपयों में )		
	क-2211—परिवार कल्याण			
	क2-101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
	क2(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
1	(i) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र			
	मूल	18,68.85	} 21,04.58	27,02.60 + 5,98.02
	अनुपूरक	2,36.48		
	पुनर्वि०	—0.75		
	5,97.27 लाख रुपये के निवल अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( मई 1992 )।			
	क3-102—शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
	क3 (1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
2	(i) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	41.17	91.21	+ 50.04
	क4-103—मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य			
3	क4 (1) मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	41.08	97.61	+ 56.53
	उपर्युक्त दोनों मामलों में अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( मई 1992 )।			



अनुदान संख्या 27—क्रमशः

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत—
क11-796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना				
4	क11(1) क्षतिपूर्ति			
	मूल	48.00	40.00	58.00
	पुनर्वि०	-8.00		

8.00 लाख रु० की बचत की प्रत्याशा योजना परिव्यय में कटौती के कारण की गई थी। अन्तिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( मई 1992 )।

(vi) उपर टिप्पणी (v) में वर्णित अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था।

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत—
कक-4211—परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय				
कक1-101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा				
कक1(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना				
(i) भवन निर्माण				
	मूल	4,76.56	...	1.90
	पुनर्वि०	-4,76.56		

4,76.56 लाख रु० की प्रत्याशित बचत यू० एन० एफ० पी० ए० योजना का द्वितीय चरण भारत सरकार के स्तर पर ल वितरहने के कारण हुई थी।

(vii) अन्तिम अधिक व्यय को देखते हुए निम्नलिखित मामलों में, 31 मार्च 1990 को सम्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक/अनोचितपूर्ण सिद्ध हुआ :—

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत—
क-2211—परिवार कल्याण				
क6-105—क्षतिपूर्ति				
1	क6(1) क्षतिपूर्ति			
	मूल	3,28.00	2,36.00	2,85.50
	पुनर्वि०	-92.00		

92.00 लाख रु० की प्रत्याशित बचत योजना परिव्यय में कटौती के कारण हुई थी। 49.50 लाख रु० के अन्तिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( मई 1992 )।

क6(2) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना				
2	(i) क्षतिपूर्ति			
	मूल	12,00.00	9,75.00	10,25.99
	पुनर्वि०	-2,25.00		

2,25.00 लाख रु० की प्रत्याशित बचत नसबन्दी के मामलों का संख्या कम करने के कारण है।

अनुदान संख्या 27—क्रमांत

क्रम संख्या	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत—
(लाख रुपयों में)				
क10-004	अनुसंधान तथा मूल्यांकन			
क10(1)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना			
3	(i) बहुदंशीय कर्मचारियों का नियोजन एवं प्रशिक्षण			
	मूल	20.00	8.00	15.63
	पुनर्वि०	-12.00		
				+ 7.63

12.00 लाख रु० की बचत की प्रत्याशा कम लोगों को प्रशिक्षण देने के कारण को गई थी। अन्तिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( मई 1992 )।

712